जनजातियों का संरक्षण

प्रीलिम्स के लिये:

जनजाति, अमेज़न वर्षावन, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 243।

मेन्स के लिये:

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मुद्दे, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेज़न वर्षावन **में एक स्थानिक जनजाति के अंतिम ज्ञात सदस्य की** दशकों तक अकेले रहने के बाद **मृत्यु हो गई है।**

- ब्राज़ील में एक असंबद्ध स्थानिक जनजाति के अज्ञात व्यक्ति को **'मैन ऑफ द होल' के** रूप में जाना जाता था क्योंकि उसे अक्सर जमीन में खोदे गए गड्ढों में आश्रय लेते हुए देखा जाता था।
- उनकी मृत्यु के **परिणामस्वरूप अब कार्यकर्ताओं के बीच एक बार फिर से चर्चा है कि** स्थानिक लोगों की रक्षा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

भारत में जनजातियों की स्थिति:

- भारत में, अधिकांश जनजातियों को सामूहिक **रूप से अनुच्छेद 342 के तहत "अनुसूचित जनजाति" के रूप में पहचाना जाता है।**
- आजादी के बाद से **देश में आदिवासी आबादी का हिस्सा लगातार जनगणना के हिसाब से बढ़ता रहा है।**
- वर्तमान समय **में भारत की जनजातीय जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या के लगभग 9% के करीब पहुँच रही है।**

जनजातीय समुदाय की सामान्य चिंताएँ:

- **घटती जनसंख्या:**
  - स्थानिक समुदाय **घटती आबादी का सामना कर रहे हैं।**
- **गरीबी:**
  - इन स्थानिक समुदायों में से अधिकांश अत्यधिक गरीबी में रहते हैं। वे कुपोषण से पीड़ित हैं और बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुँच नहीं है।
- **वन क्षेत्रों का क्षरण:**
  - **वन क्षेत्रों में अनियंत्रित विकास से वन क्षेत्रों** का ह्रास हुआ है जो आदिवासी समुदाय के अस्तित्व का प्रमुख आधार है।
- **अधिकारों को पहचानने में विफलता** :
  - वन संसाधनों पर स्थानिक समुदायों के अधिकारों को मान्यता देने में असमर्थता भी एक चिंता का विषय है।

स्थानिक समुदायों का महत्त्व:

- **जैव विविधता का संरक्षण:**
  - जबकि स्थानिक लोग विश्व के सतह क्षेत्र के एक चौथाई हिस्से के स्वामी हैं, कब्जा करते हैं या उपयोग करते हैं**वे विश्व की शेष जैव विविधता के 80% की रक्षा करते हैं।**
  - जलवायु और आपदा जोखिमों को अनुकूलित करने, कम करने और कम करने के बारे में उनके पास**महत्त्वपूर्ण ज्ञान और विशेषज्ञता है।**
  - **भारत के जातीय लोगों ने जैव विविधता के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है** और आदिवासियों के पवित्र उपवनों में वनस्पतियों

और जीवों का संरक्षण किया है।

- **भाषाओं का संरक्षण:**
  - विश्व की अधिकांश सांस्कृतिक विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाले 370-500 मिलियन स्थानिक लोगों के साथ, वे विश्व में लगभग 7000 भाषाओं का प्रयोग करते हैं।
- **शून्य भूख लक्ष्य में योगदान:**
  - स्थानिक लोगों द्वारा उगाई जाने वाली फसलें अत्यधिक अनुकूलनीय होती हैं।
  - वे **सूखे, ऊँचाई, बाढ़ और तापमान के किसी भी प्रकार के चरम से बच सकते हैं।** नतीजतन, ये फसलें लचीली कृषि स्थापित करने में मदद करती हैं।
  - इसके अलावा क्विनोआ, मोरिंगा और ओका कुछ ऐसी स्थानिक फसलें हैं जो हमारे खाद्य आधार का विस्तार और विविधता लाने की क्षमता रखती हैं। ये शून्य भुखमरी हासिल करने के लक्ष्य में योगदान देंगे।

भारत में जनजातीय समूहों की समस्याएँ:

- **प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण का नुकसान** : जैसे-जैसे भारत का औद्योगीकरण हुआ और आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की खोज हुई, आदिवासी अधिकारों को कम किया गया, और राज्य के नियंत्रण ने प्राकृतिक संसाधनों पर आदिवासी नियंत्रण को बदल दिया।
  - संरक्षित वनों और राष्ट्रीय वनों की अवधारणा को प्रचलन में आने के साथ, आदिवासियों ने खुद को अपने सांस्कृतिक परिक्षेत्र से उखड़ा हुआ महसूस किया और आजीविका के कोई सुरक्षित साधन नहीं थे।
- **शिक्षा की कमी:** जनजातीय क्षेत्रों में, अधिकांश स्कूलों में बुनियादी ढाँचे की कमी है, जिसमें न्यूनतम शिक्षण सामग्री और यहाँ तक कि न्यूनतम स्वच्छता प्रावधान भी शामिल हैं।
  - शिक्षा से तत्काल आर्थिक लाभ न होने के कारण आदिवासी माता-पिता अपने बच्चों को लाभकारी रोज़गार में लगाना पसंद करते हैं।
  - अधिकांश जनजातीय शिक्षा कार्यक्रम **आधिकारिक/क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किये गए हैं,** जो आदिवासी छात्रों से दूर हैं।
- **विस्थापन और पुनर्वास:** बड़े इस्पात संयंत्रों, बिजली परियोजनाओं और बड़े बाँधों जैसे प्रमुख क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया के लिये सरकार द्वारा जनजातीय भूमि के अधिग्रहण से जनजातीय आबादी का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ।
  - छोटानागपुर क्षेत्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ।
  - इन आदिवासियों का शहरी क्षेत्रों में प्रवास उनके लिये मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण बनता है क्योंकि वे शहरी जीवन शैली और मूल्यों को अच्छी तरह से समायोजित करने में सक्षम नहीं हैं।
- **स्वास्थ्य और पोषण की समस्याएँ:** आर्थिक पिछड़ेपन और असुरक्षित आजीविका के कारण, आदिवासियों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मिलेरिया, हैजा, डायरिया और पीलिया जैसी बीमारी का प्रसार।
  - कुपोषण से जुड़ी समस्याएँ जैसे आयरन की कमी और **एनीमिया**, **उच्च शिशु मृत्यु दर आदि** भी प्रबल होती हैं।
- **लैंगिक मुद्दे:** प्राकृतिक पर्यावरण का ह्रास, विशेष रूप से वनों के विनाश और तेज़ी से सिकुड़ते संसाधन आधार के कारण, महिलाओं की स्थिति पर इसका प्रभाव पड़ता है।
  - खनन, उद्योग और व्यावसायीकरण के लिये जनजातीय क्षेत्रों के खुलने से आदिवासी पुरुषों और महिलाओं को बाज़ार अर्थव्यवस्था के जटिल संचालन के लिये उजागर किया गया है, जिससे उपभोक्तावाद और **महिलाओं के वस्तुकरण को बढ़ावा मिला है।**
- **पहचान का क्षरण:** तेजी से, आदिवासियों की पारंपरिक संस्थाएँ और कानून आधुनिक संस्थानों के साथ संघर्ष में आ रहे हैं, जो आदिवासियों में अपनी पहचान को बनाए रखने के बारे में आशंका पैदा करते हैं।
  - **जनजातीय बोलियों** और भाषाओं का विलुप्त होना चिंता का एक और कारण है क्योंकि यह आदिवासी पहचान के क्षरण का संकेत देता है।

अनुसूचित जनजातियों के लिये भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए बुनियादी सुरक्षा उपाय:

- भारत का **संविधान** 'जनजाति' शब्द को परिभाषित करने का प्रयास नहीं करता है, हालाँकि, अनुसूचित जनजाति शब्द को संविधान में अनुच्छेद 342 (i) के माध्यम से जोड़ा गया था।
  - यह निर्धारित करता है कि 'राष्ट्रपति, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातियों या जनजातीय समुदायों या भागों के कुछ हिस्सों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकते हैं, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिये अनुसूचित जनजाति माना जाएगा।
  - संविधान की पाँचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में एक जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान करती है ।
- **शैक्षिक और सांस्कृतिक सुरक्षा उपाय:**
  - **अनुच्छेद 15(4):** अन्य पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिये विशेष प्रावधान (इसमें अनुसूचित जनजाति शामिल हैं)
  - **अनुच्छेद 29:** अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण (इसमें अनुसूचित जनजाति शामिल हैं)
  - **अनुच्छेद 46:** राज्य लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करेगा। शोषण।
  - **अनुच्छेद 350:** विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार,
- **राजनीतिक सुरक्षा उपाय:**
  - **अनुच्छेद 330 : लोकसभा** में अनुसूचित जनजातियों के लिये सीटों का आरक्षण
  - **अनुच्छेद 332: राज्य विधानसभाओं** में अनुसूचित जनजातियों के लिये सीटों का आरक्षण
  - **अनुच्छेद 243: पंचायतों** में सीटों का आरक्षण
- **प्रशासनिक सुरक्षा:**
  - **अनुच्छेद 275:** यह अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा

राज्य सरकार को विशेष निधि प्रदान करने का प्रावधान करता है।

अनुसूचित जनजातियों के लिये हाल की सरकार की पहल:

- ट्राइफेड
- जनजातीय स्कूलों का डिजिटल परिवर्तन
- विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों का विकास
- प्रधानमंत्री वन धन योजना
- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

आगे की राह:

- **उन्हें प्रथम श्रेणी के नागरिक के रूप में व्यवहार करने का समय:**
  - शिक्षा या प्रौद्योगिकी जैसे विकास का **लाभ उन तक पहुँचना चाहिये** लेकिन साथ ही उन्हें दूसरे दर्जे के नागरिक में नहीं बदलना चाहिये।
  - वे **प्रथम श्रेणी के नागरिक हैं और उन्हें प्रथम श्रेणी के नागरिक बने रहना चाहिये** ताकि उनके आत्मविश्वास, उनके सशक्तिकरण और उनकी स्वायत्तता और उनके स्वाभिमान की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिये और यह शताब्दी सहित सभी आदिवासी समुदायों पर लागू होता है।
- **पर्याप्त बजट आवंटन सुनिश्चित करना:**
  - **केंद्र और राज्यों दोनों** की सरकारों को जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार को नीति की दृष्टि से सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक के रूप में मान्यता देनी चाहिये और राष्ट्रीय जनजातीय योजना सहित पर्याप्त बजट आवंटन सुनिश्चित करना चाहिये।
- **विरासत और संस्कृति का संरक्षण:**
  - प्रयास **न केवल** गुणवत्तापूर्ण पोषण और स्वास्थ्य संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित करके आदिवासियों की आबादी की रक्षा के लिये निर्देशित किए जाने चाहिये, बल्कि उनकी विरासत, संस्कृति, भाषा, कला, परंपराओं और संवेदनाओं को संरक्षित करने के प्रयासों की भी आवश्यकता है।
- **आर्थिक उत्थान:**
  - आदिवासियों के आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करने के उपाय करके**आदिवासियों की स्थिति को कम करने के लिये कदम उठाने की जरूरत है।**
  - **आदिवासियों के विकास के लिये नीतियाँ और कार्यक्रम** समुदाय के अद्वितीय चरित्र के अनुरूप होना चाहिये और आवश्यकता आधारित होना चाहिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????????

भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिये निजी पार्टियों को आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को शून्य और शून्य घोषित किया जा सकता है? (2019)

(A) तीसरी अनुसूची
(B) पाँचवी अनुसूची
(C) नौवीं अनुसूची
(D) बारहवीं अनुसूची

उत्तर: (B)

व्याख्या:

- अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित संविधान की पाँचवी और छठी अनुसूची के साथ अनुच्छेद 244 में निहित प्रावधानों और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम के प्रावधानों द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में खनिज रियायतों का अनुदान निर्देशित है। 1996 और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 या आदिवासियों के हितों की रक्षा करने वाले कोई अन्य प्रासंगिक वैधानिक अधिनियम।
- पाँचवी अनुसूची के तहत, राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकते हैं कि संसद या राज्य के विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम राज्य में अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी हिस्से पर लागू होगा या नहीं।
- इस प्रकार, पाँचवी अनुसूची के तहत, खनन के लिये निजी पार्टियों को आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को शून्य और शून्य घोषित किया जा सकता है। **अतः विकल्प (B) सही है।**

?????

प्र. आप उन आँकड़ों की व्याख्या कैसे करते हैं जो दिखाते हैं कि भारत में जनजातियों में लिंगानुपात अनुसूचित जातियों के लिंगानुपात की तुलना में महिलाओं के लिये अधिक अनुकूल है? **(2015)**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/protecting-the-tribes